न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 23/19–20

गंगाराम मरांडी बनाम् रैयान मौजा–छोटा श्रीपुर

–: आदेश :–

वर्तमान वाद उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है, जिसमें उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय आर0एम0ए0 केस नं0–13/20–21 (लोबो मरांडी बनाम गंगाराम मरांडी) में पी0ए0 केस नं0–23/19–20 (गंगाराम मरांडी बनाम रैयान मौजा–छोटा श्रीपुर) अंतर्गत दिनांक–01.02.2020 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मौजा– छोटा श्रीपुर नं0–45 का गत प्रधान के Next heir, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची–V के अनुसार योग्य हो, प्रधान नियुक्त करने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–926/रा0, दिनांक–22.12.2022 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक मौजा अंतर्गत उक्त जमाबंदी में लोबो मरांडी एकमात्र वारिशान हैं, जो सम्पूर्ण भूमि जोत–आबाद कर रहे हैं। आवेदक गंगाराम मरांडी द्वारा प्रस्तुत वंशावली सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक गंगाराम मरांडी का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक लोबो मरांडी के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा– छोटा श्रीपुर नं0–45 का प्रधान आवेदक लोबो मरांडी को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान लोबो मरांडी को आदेश दिया जाता है कि उक्त मौजा का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। तद्नुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 21.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Sd/- 21.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen Bande Kumar Singh Adv 01/07/23

Seen 01/07/23

Seen Binod Kr Gupta (Petitioner) Adv 1/7/2023

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.10.07 14:57:01 +05:30
Location: 192.168.1.35